

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट- IV

जयपुर, दिनांक-13 MAR 2018

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं विभागीय आदेश क्रमांक प3(43)नविवि/3/2009 पार्ट दिनांक 12.08.2015 के अनुसार राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के उपयोग अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 हेतु क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम पहुँचमार्ग निर्धारित किया गया है एवं यदि प्रस्तावित स्थल का विद्यमान न्यूनतम 12 मीटर चौड़ा पहुँचमार्ग उपलब्ध नहीं है तो धारा 90 क की कार्यवाही नहीं जा सकेगी का प्रावधान है।

सक्षम स्तर से निर्णय उपरान्त फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल पट्टा प्रकरण में उक्त प्रावधान में 40 फीट के स्थान पर न्यूनतम 30 फीट रखे जाने हेतु शिथिलता दी जाती है। फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावेगी कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है तो वह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निः शुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।

फार्म हाउस की योजना प्रस्तावित होने पर जिसमें एक से अधिक फार्म हाउस भूखण्ड प्रस्तावित हैं, तो न्यूनतम पहुँचमार्ग विभागीय आदेश क्रमांक प 3(43)नविवि/3/2009 पार्ट दिनांक 12.08.2015 के अनुसार रखा जाना अनिवार्य है।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेष सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. शेषित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम